संoसंo–16 / PMU–10–02 / 2017 काo– 3445

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 22/5/2018.

विषय : **उपार्जित अवकाश के आवेदन का अग्रसारण, गणना, स्वीकृति / अस्वीकृत का निर्णय तथा ऑनलाईन आदेश का प्रेषण HRMS के ऑनलाईन अवकाश प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी कर्मियों (यथा– सभी अराजपत्रित कर्मी, सभी राजपत्रित कर्मी जिनके अवकाश लेखा की गणना वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के द्वारा किया जाता है तथा सभी राजपत्रित पदाधिकारी जिनके अवकाश लेखा का संधारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है) के उपार्जित अवकाश की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन अवकाश प्रबन्धन प्रणाली का उपयोग करते हुए सभी कर्मियों के द्वारा उपार्जित अवकाश का आवेदन ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा। इसका अग्रसारण, गणना एवं अवकाश स्वीकृति / अस्वीकृति के निर्णय का कार्य भी ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा। स्वीकृति की स्थिति में अवकाश स्वीकृति का आदेश भी ऑनलाईन माध्यम से निर्गत होगा। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए तत्काल यह सेवा उपलब्ध नहीं होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा अराजपत्रित कर्मियों के अवकाश की गणना एवं स्वीकृति की प्रक्रिया भिन्न है। इन भिन्न प्रक्रियाओं को प्रणाली कर्मी–विशेष के वर्त्तमान प्रोफाईल (यथा– राजपत्रित / अराजपत्रित, सेवा का नाम, सेवा के ग्रेड, वेतन पूर्जा निर्गत करने का कार्यालय) के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा अपनायी जाएगी। सभी कर्मियों को अपना प्रोफाईल अद्यतन करने की सुविधा HRMS में उपलब्ध करायी गयी है। आवश्यक होगा कि सभी कर्मी अपना प्रोफाईल अद्यतन कर लें तथा प्रोफाईल में विद्यमान सूचना के सही होने पर ही अवकाश आवेदन समर्पित करें। यदि प्रोफाईल में सूचना सही नहीं है तो इसे अद्यतन कर लें और यदि

तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो Helpline अथवा अपने पैतृक विभाग के नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

सभी कर्मियों/स्थापना पदाधिकारियों की सहायता के लिए Help फाईल HRMS के वेबसाईट 'jharpis.gov.in' के 'FAQ and Help Videos' लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाईन कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सहायता की आवश्यकता हो तो Toll Free No.- 1800–345–6568 तथा झारनेट IP Phone No.-11476 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–मेल पता hrms.dopar@gmail.com पर भी सहायता उपलब्ध है।

अतएव अनुरोध है कि ऑनलाईन अवकाश प्रबन्धन प्रणाली को शत–प्रतिशत लागू कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

Kailash 22/5/18

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः– सं0सं0–16/PMU–10–02/2017 का0–3445 /राँची, दिनांक 22/5/2018.

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, वित्त–सह–योजना विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kailash 22/5/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।